न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

करण सं. 13 / 2019 / अपील

1. पन्नालाल पुत्र खेमाराम जाति कुमावत निवासी लाडपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

--अपीलांट

ब ना म

1. सरपंच, ग्राम पंचायत लाडपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
2. पटवारी, पटवार हल्का लाडपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
3. गिरदावर हल्का खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
4. छिगनलाल पुत्र खेमाराम
5. मदनलाल पुत्र खेमाराम
6. बिदामी देवी पुत्री खेमाराम
7. नर्बदादेवी पुत्री खेमाराम
8. संज्यादेवी पुत्री खेमाराम

जाति कुमावत निवासी लाडपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

9. सीताराम
10. रामनिवास
11. सुरेश कुमार

} पुत्रगण माता शांतिदेवी पुत्री खेमाराम

12. कमलादेवी
13. केलादेवी

} पुत्रियां माता शांतिदेवी पुत्री खेमाराम

जाति कुमावत निवासीगण जोशीयों की ढाणी तन पृथ्वीपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्ध नामांतरण संख्या 873 दिनांकित 21.03.2018
बतस्दीक ग्राम पंचायत लाडपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

उपस्थिति–

1. श्री सुरेन्द्रपाल धायल, महेन्द्र कुमावत वकील अपीलांट की ओर से।
2. श्री बंशीधर बाज्या वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 9 की ओर सें।

निर्णय **दिनांक– 26.12.2019**

1. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 374, 376, 377, 378 किता 4 कुल रकबा 8.80 है0, खसरा नम्बर 435, 436, 437, 457 ता 460, 462 ता 464, 466 ता 470, 472 ता 477, 479, 481, 482 ता 484, 519 किता 27 कुल रकबा 5.60 है0 वाके ग्राम लाडपुर पटवार हल्का लाडपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 461 रकबा 1.24 है0 वाके ग्राम लाडपुर पटवार हल्का लाडपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 375 रकबा 0.18 हैक्टर वाके ग्राम लाडपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। भूमि खसरा नम्बर 509 ता 511, 513 ता 515, 515/957 किता 7 कुल रकबा 12.51 है0 वाके ग्राम लाडपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 14 के पिता/नाना/ससुर खेमाराम की अन्य भूमियां ग्राम लाडपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में भूमि खाता संख्या 19, 22, 149, है जिसका नामांतकरण नहीं भरा गया है इसलिए इन भूमियों का विवाद नहीं है। उक्त विवादित भूमियां अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 14 के पिता /नाना की खातेदारीशुदा भूमियां है जिन पर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स अपने अपने हिस्से पर काबिजकाशत चले आ रहे है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स के पिता खेमाराम की मृत्यु दिनांक 18.10.2008 को हो चुकी है जिसकी विरासत का नामांतकरण दिनांक 21.03.2018 को जरिये नामांतकरण संख्या 873 पर भरा जाकर सरपंच ग्राम पंचायत लाडपुर द्वारा तस्दीक किया गया जो शुन्य व प्रभावहीन है क्योंकि– 1. अपीलांट के पिता की मृत्यु होने के पश्चात ग्राम पंचायत लाडपुर के द्वारा जो वारिस प्रमाण पत्र जारी किया गया उसमें

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

रेस्पोडेन्ट संख्या 9 ता 14 की माता/पत्नि का नाम नहीं था जबकि शांतिदेवी अपने पिता की विधिक वारिस थी। इसके बावजूद ग्राम पंचायत लाडपुर द्वारा गलत वारिस प्रमाण पत्र जारी किया गया है जिसके आधार पर भरा गया नामांतकरण निरस्त होने योग्य है। 2. अपीलांट के पिता व रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ता 14 के पिता /नाना के विधिक वारिशान की ग्रामीण वासियो सें बिना जांच किये ही उक्त नामांतकरण भरा गया जो निरस्त होने योग्य है। 3. अपीलांट जो कि मात्र साक्षर है व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 पढा लिखा है जिसने अपने पिता व माता का वारिस प्रमाण पत्र लेने के लिए गलत शपथपत्र देकर गलत वारिस प्रमाण पत्र बनवा लिए तथा उक्त नामांतकरण तस्दीक करवाया है जो विधि विरूद्ध है अतः निरस्त योग्य है। अपीलांट को उक्त नामांतकरण की जानकारी दिनांक 18.07.2019 को पटवारी हल्का सें जमाबंदी की नकल लेने से हुई तब पता चला कि उक्त जमाबंदी में रेस्पोडेन्ट संख्या 9 ता 14 की माता/पति का नाम नहीं था तो उसने पटवारी से पूछा कि मेरी बहन शांति के वारिशान का नाम नहीं है तो नामांतकरण की नकल दिनांक 13.09.2019 को प्राप्त हुई इसलिए अपील अंदर मियाद प्रस्तुत की गई है। अंत में अपील प्रस्तुत कर यह इस्तदुआ चाही गई कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामांतकरण संख्या 873 दिनांक 21.03.2018 को निरस्त कर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 14 के पिता/नाना के विधिक वारिसो के नाम पुनः नामांतकरण भरने के लिए तहसीलदार दांतारामगढ को रिमाण्ड किया जावे।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स प्रतिवादी संख्या 5 व 9 की ओर सें वकील श्री बंशीधर बाज्या हाजिर आये तथा शेष रेस्पोडेन्ट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अपील अपीलांट पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. हमने वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों के

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

अवलोकन सें स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत लाडपुर द्वारा तस्दीक अपीलाधीन नामांतकरण मृतक खेमाराम के सभी वारिशों की जांच किये बिना ही भरा गया है जो निरस्तनीय है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामांतरण संख्या 873 दिनांक 21.03.2018 बतस्दीक ग्राम पंचायत लाडपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार दांतारामगढ को आदेशित किया जाता है कि पुनः विधिवत वारिशान की जांच करते हुए नामान्तकरण दर्ज कर तस्दीक करने की कार्यवाही कर न्यायालय को पालना सें अवगत करावे।

पत्रावली बाद तकमील कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 26.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ